न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

दिनांकः– 05/06/2026

अभियुक्त पिंटू उर्फ देशराज की ओर से मु०अ०सं०– 46/2024, अन्तर्गत धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं०, थाना मौरावां जिला उन्नाव, के प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का होना अंकित किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त पिंटू उर्फ देशराज द्वारा 20 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

01:– अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा।

02:– अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित अथवा प्रताड़ित नहीं करेगा।

03:– अभियुक्त विचारण में सम्पूर्ण सहयोग करेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा,
उन्नाव।